

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 अप्रैल 2019—चैत्र 18, शक 1941

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2019

क्र. एफ 1-02-2019-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के साथ सहपठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री अरूण कुमार सिंह, संभागीय उप परिवहन आयुक्त, ग्वालियर चंबल संभाग को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की शक्तियों एवं कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करती है.

No. F 1-02-2019-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68 read with second proviso to sub-section (2) of the said Section of the Madhya Pradesh Motor Vehicles, Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, authorizes Shri Arun Kumar Singh, Dy. Transport Commissioner, discharge the power and function of Regional Transport Authority in Gwalior and Chambal Division till further order.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. ए. खान, उपसचिव.